न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 09/2013
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

रामकुमार आत्मज श्री मोमनराम, जाट, माखुसुरानी तहसील सिरसा जिला हिसार (हरियाणा)

...वादी

बनाम

1. माधोसिंह आत्मज श्री हरीराम, जाट, चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. मूलचन्द आत्मज श्री हरीराम, जाट, ढाणी लालखां,
3. रिखीराम आत्मज श्री हरीराम(मृत)
   3.1. दलीप,
   3.2. जगदीश,
   3.3. हुण्ताराम आत्मजन स्व. श्री रिखीराम, जाट, ढाणी लालखा,
   3.4. श्रीमती सरबती धर्मपत्नी स्व. श्री रिखीराम, जाट, ढाणी लालखां
4. श्रीमती चावली धर्मपत्नपी स्व. श्री जोतराम, जाट, ढाणी लालखां,
5. मोहरसिंह,
6. रामस्वरूप,
7. ओमप्रकाश एवं
8. मंगतूराम आत्मजन श्री जोतराम, जाट, ढाणी लालखा तहसील नोहर,
9. श्रीमती रूकमा आत्मजा श्री हरीराम, जाट, चूलीकलां तहसील आदमपुर जिला हिसार एवं
10. राज्य सरकार
11. मनीराम,
12. मोतीराम एवं
13. जयदेव आत्मजन श्री रामचन्द्र, जाट, चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपस्थित– श्री काशीराम रिणवां (वादी)
श्री हरीश सोनी (प्रतिवादी–12)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–10)

दिनांक 27 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 के अनुसार संयुक्त खाता संख्या 14 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 25(1.00)

बीघा, मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 से 25 की 25.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 25(1.00) बीघा, मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 से 25 की 25.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25 की 24. 10 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1 से 25 की 25.00 बीघा कुल 75.00 बीघा (74.09 बीघा नहरी एवं 0.11 बीघा खाल) में 1/4 हिस्सा एतद्द्वारा 18.15 बीघा कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादी के नाना, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता, प्रतिवादी संख्या 4 के पिता श्री हरीराम आत्मज श्री नारायणराम, जाट, चक 8 एच.एच. के नाम पर दर्ज है. श्री हरीराम की मृत्योपरान्त उनके चार पुत्र जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं उनका भाई श्री सुरजाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता श्री जोतराम थे. श्री हरीराम की दो पुत्रिया जिनमें वादी की माता श्रीमती माड़ी धर्मपत्नी श्री मोमनराम एवं श्रीमती रूकमा प्रतिवादी संख्या 9 है. वादी की माता श्रीमती माड़ी की मृत्योपरान्त वादी ही उनका अकेला वारिस है. श्री हरीराम की मृत्योपरान्त श्री हरीराम के हिस्सा की प्रश्नगत कृषि भूमि श्री हरीराम के पांच पुत्रों, दो पुत्रियों एवं श्री हरीराम की धर्मपत्नी श्रीमती गोरा को विरासतन प्राप्त हुई. श्रीमती गौरा की बाद में मृत्यु हो गयी. इस प्रकार श्री हरीराम की प्रश्नगत कृषि भूमि उनके पांचों पुत्र एवं दो पुत्रियों का बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात प्रत्येक सातवां हिस्सा प्राप्त हुई. वादी की माता की मृत्योपरान्त उनका सातवां हिस्सा वादी को प्राप्त हुआ. वादी प्रश्नगत कृषि भूमि में सातवां हिस्सा का हकदार, खातेदार एवं कृषक है. श्री हरीराम के पुत्र श्री जोतराम की मृत्योपरान्त उनका सातवां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को प्राप्त हुआ. श्री हरीराम के पुत्र श्री सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा की कृषि भूमि का तबादला प्रतिवादी संख्या 1 की हरियाणा स्थित कृषि भूमि से कर लिया गया इस कारण श्री माधोसिंह का 75 हिस्सा से बढ कर 150 हिस्सा हो गया. श्री हरीराम की मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं श्री सुरजाराम द्वारा परस्पर साजिश कर श्री हरीसिंह की कुल प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के नाम पर दर्ज करवा ली गयी. और वादी की माता श्रीमती माड़ी एवं प्रतिवादी संख्या 9 श्रीमती रूकमा के नाम पर कोई भूमि विरासतन दर्ज नहीं होने दी. वादी की माता श्रीमती माड़ी एवं श्रीमती रूकमा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बेईमानी वश प्रश्नगत 18.15 बीघा कृषि भूमि में से वादी की माता श्रीमती माड़ी एवं उसकी मृत्योपरान्त इस भूमि में वादी के हिस्सा एवं श्रीमती रूकमा के हिस्सा से इन्कार करने लग गये. हरियाणा स्थित श्री हरीराम की कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं श्री सुरजाराम, श्री जोतराम एवं श्रीमती गौरा के साथ श्रीमती रूकमा का वादी की माता श्रीमती माड़ी के नाम पर तस्दीक होकर जमाबन्दी तैयार हो गयी. प्रश्नगत कृषि भूमि में वादी की माता श्रीमती माड़ी एवं श्रीमती रूकमा का नाम विरासतन नामान्तरकरण में दर्ज न करवाकर प्रतिवादीगण भूमि प्रश्नगत में कोई हिस्सा वादी को

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फर्स्ट क्लास) श्रीगंगानगर

देने एवं राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया. ऐसी स्थिति में, वादी श्री हरीराम के नाम पर प्रश्नगत दर्ज कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा कृषि भूमि में सातवां हिस्सा घोषित करवाने एवं राजस्व अभिलेखों में संशोधन करवाने का अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में वादी का हक व हिस्सा मारने एवं स्वयं लाभ उठाने में प्रयासरत हैं और प्रश्नगत समस्त भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा श्री हरीराम की प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा श्री रामचन्द आत्मज श्री गिरधारीराम, जाट, चक 8 एच.एच. के साथ राशि 15,00,000.00 में किया है और दिनांक 20 अप्रेल, 1998 को विक्रय विलेख निष्पादित करने जा रहे हैं यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 प्रश्नगत समस्त कृषि भूमि को विक्रय कर देते हैं तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और वादी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा. पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता होगी. ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्व, प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी अन्य को अन्तरित नहीं करने बाबत, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 से प्रश्नगत कृषि भूमि में वादी के सातवें हिस्सा स्वीकार कर राजस्व अभिलेखों में हिस्सा की दर से वादी का नाम दर्ज करवाने एवं प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय न करने के लिये कई बार कथन किये गये किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं देते हुऐ अन्त में दिनांक 24 मार्च, 1998 को पुनः तकाजा करने पर ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया. यही वादकारण है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 8 एच.एच. के खाता संख्या 11 में प्रतिवादी संख्या 1 के 150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 25 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 75 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 75 हिस्सा कुल 375 हिस्सा अर्थात 18.15 बीघा में वादी का सातवां हिस्सा की घोषणा, तदोनुसार हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज, प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी अन्य को अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी चक... तहसील व जिला सिरसर वर्ष 1987–88, चक 4 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035, चक 4 एच.एच. के राजस्व अभिलेख खातौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2026–2035, चक 4 एच.एच. के राजस्व अभिलेख खातौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2026–2035, चक 4 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2051 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 10 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 9 एवं 3.1 से 3.4 की तलबी हेतु तलवाना सम्मन प्रस्तुत नहीं करने के परिणामतः आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 2002 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया. प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 की तलबी हेतु

जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन के लिफाफा पर लेने से इन्कार की टिप्पणी प्रस्तुत होने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति के परिणामतः आदेश दिनांक 3 मई, 2006 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 11 से 13 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2010 को memo of appearance के माध्यम से उपस्थित दी गयी. किन्तु दिनांक 3 फरवरी, 2016 तक भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के विरूद्व वकालतनामा के अभाव में एकपक्षीय कार्यवाही ही की गयी. जिस पर प्रतिवादी संख्या 12 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 11 एवं 13 को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 एवं 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

आवेदक सर्वश्री मनीराम, श्री मोतीराम एवं श्री जयदेव आत्मजन श्री रामचन्द्र, जाट, चक 8 एच.एच. द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदनपत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1998 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र वादी द्वारा चक 8 एच.एच. के संयुक्त खाता संख्या 11/10 के 75.00 बीघा में से ¼ हिस्सा में से सातवें हिस्सा का हकदार घोषित करने तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने तथा श्री माधोसिंह, श्री मूलचन्द एवं मृतक श्री रिखीराम के विरूद्व निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है. आवेदकगण श्री माधोराम से 150 हिस्सा, श्री मूलचन्द से 75 हिस्सा एवं मृतक श्री रिखीराम के वारिसान से 75 हिस्सा कृषि भूमि पंजीबद्व विकय विलेख दिनांक 3 अप्रेल, 1998 द्वारा कय की गयी है तथा कयाधीन कृषि भूमि का कब्जा केतागण के पास बतौर खातेदार है. आवेदकगण कुल 75.00 बीघा कृषि भूमि में सहखातेदार हैं तथा श्री माधोराम, श्री मूलचन्द एवं श्री रिखीराम के वारिसान से कुल 375 हिस्सा कय किया गया है. उक्त प्रकरण के निर्णय से आवेदनगण के खातेदारी अधिकार इस खाता से प्रभावित होंगे और इनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पढ सकता है. इस लिये आवेदकगण विचाराधीन वाद में आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार हैं. आवेदकगण को विचाराधीन वादपत्र में पक्षकार नहीं बनया गया तो आवेदकगण न्याय से वंचित हो जायेंगे और वाद बाहुल्यता बढेगी. इसके विपरीत, आवेदकगण को पक्षकार बनाये जाने से माननीय न्यायालय को निर्णय करने में सुविधा होगी. इस प्रकार आवेदकगण को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 एवं पंजीबद्व दस्तावेज

कलक्टर एव दण्डनायक ( ) श्रीगंगानगर

बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2000 द्वारा आवेदकगण को प्रतिवादी संख्या 11 से 13 प्रतिस्थापित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 24 अगस्त, 1998 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र के प्रतिवादी संख्या 3 श्री रिखीराम आत्मज श्री हरीराम, जाट, ढाणी लालखां तहसील नोहर की करीब 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है. कानूनन मरे हुऐ व्यक्ति के विरूद्व वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. श्री रिखीराम की मृत्यु का ज्ञान रामकुमार वादी को बाखूबी था. क्योंकि वादी श्री रिखीराम का सगा भांजा है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1999 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में श्री रिखीराम आत्मज श्री हरीराम, जाट, ढाणी लालखां तहसील नोहर को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया है. श्री माधोसिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1998 के अनुसार श्री रिखीराम की मृत्यु करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है और वादपत्र मृतक के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदनपत्र प्रस्तुत होने पर वादी को गत पेशी की सूचना होने पर वादी अपने अभिभाषक से गत पेशी के बाद 10 दिन पूर्व मिला तो वादी के वकील द्वारा श्री रिखीराम की मृत्यु के बारे में प्रस्तुत आवेदनपत्र की जानकारी दी गयी. जिस पर वादी द्वारा श्री रिखीराम के वारिसान की जानकारी ली और वारिसान की जानकारी मिलने पर श्री रिखीराम के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु विचाराधीन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. वादी का प्रतिवादीगण के साथ आना जाना नहीं था. वादी को श्री रिखीराम की मृत्यु की जानकारी नहीं थी. वादी द्वारा उक्त वादपत्र जमाबन्दी के आधार पर प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में, श्री रिखीराम की मृत्यु की जानकारी नहीं होने से श्री रिखीराम के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया. वादपत्र कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है. श्री रिखीराम के वारिसान को बाद में पक्षकार बनाये जाने की कोई कानूनी बाधा किसी प्रकार की नहीं हैं. न्याय की दृष्टि से श्री रिखीराम के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना उचित है. इस प्रकार श्री रिखीराम के वारिसान कमशः दलीप, जगदीश, हुण्ताराम आत्मजन श्री रिखीराम एवं श्रीमती सरबती धर्मपत्नी स्व. श्री रिखीराम, जाटान, ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ को प्रतिवादी स्थापित किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 1 मार्च, 2001 द्वारा राशि 100.00 कॉस्ट पर आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 11 से 13 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार श्री हरीराम की 18.15 बीघा कृषि भूमि खातेदारी थी जो उसके पिता श्री नारायणराम से विरासतन प्राप्त हुई होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसे श्री हरीराम के पांचों पुत्रों कमशः श्री सुरजाराम, श्री जोतराम, श्री मूलचन्द, श्री रिखीराम एवं श्री माधोराम का बहिस्सा बराबर बराबर श्री हरीराम के साथ श्री. श्री हरीराम के नाम पर दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें लड़कियों एवं श्री हरीराम की धर्मपत्नी का कोई हक व हिस्सा पुत्रों के बराबर नहीं हो सकता. लड़कों का पैतृक सम्पत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार होने के कारण पांचों पुत्र बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण सही रूप से दर्ज किया गया जिसमें कोई साजिश नहीं है. नामान्तरकरण श्री हरीराम की पुत्रियों की स्वीकृति से दर्ज किया गया और इनका अन्य सम्पत्ति जो नोहर की ढाणी लालखां में है, का नामान्तरकरण मात्र श्री हरीराम के पुत्रों के नाम दर्ज किया गया. पुत्रियों ने अपना हिस्सा नहीं लिया. वादी की माता का हिस्सा श्री हरीराम की सम्पत्ति में किसी भी कानून के तहत सातवां नहीं हो सकता. मृतक श्री हरीराम के हिस्सा की प्रश्नगत कृषि भमि का विकय विलेख श्री माधोसिंह द्वारा अपने 150 हिस्सा से में 75 हिस्सा का दिनांक 3 अप्रेल, 1998 को प्रतिफल राशि 3,20,000.00 में पंजीबद्व करवाया जाकर कब्जा केता श्री जयदेव के हवाले कर दिया गया. इसी प्रकार श्री माधोसिंह द्वारा अपने 75 हिस्सा का विकय विलेख दिनांक 3 अप्रेल, 1998 को प्रतिफल राशि 2,80,000.00 प्राप्त कर पंजीबद्व करवाया गया. श्री रिखीराम के समस्त वारिसान द्वारा 3.15 बीघा का विकय विलेख दिनांक 7 अप्रेल, 1998 को प्रतिफल राशि 3,00,000.00 में श्री मनीराम के पक्ष में निष्पादित किया गया. कयाधीन कृषि भूमि का कब्जा केतागण के सुपुर्द कर दिया गया. श्री हरीराम के पुत्र श्री मूलचन्द द्वारा अपने हिस्सा की 3.15 बीघा का विकय विलेख दिनांक 7 अप्रेल, 1998 को प्रतिफल राशि 3,00,000.00 प्राप्त कर श्री मोतीराम के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्व करवाया गया. श्री जोतराम के वारिसान द्वारा चक 8 एच.एच. स्थित कृषि भूमि में अपने हिस्सा की 3.15 बीघा कृषि भूमि का विकय विलेख दिनांक 7 अप्रेल, 1998 को प्रतिफल राशि 3,00,000.00 प्राप्त कर श्री जयदेव के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्व करवाया गया. पिछले पांच वर्षो से प्रश्नगत कृषि भूमि में से कयशुदा कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के पास चला आ रहा है. खातेदारान को अपने हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को विकय करने के पूरे पूरे अधिकार थे. वादी मृतक श्री हरीराम के हिस्सा की कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा का किसी भी कानून के अन्तर्गत हकदार नहीं है. मृतक श्री हरीराम की प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण पांचों पुत्रों के नाम दर्ज किया गया इस प्रकार मृतक श्री हरीराम के पुत्र ही खातेदार हैं इसलिये वादी किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. वादपत्र में मृतक श्री हरीराम की पुत्री श्रीमती माड़ीदेवी के सभी वारिसान की ओर से प्रस्तुत

नही किया गया व न ही उन्हें पक्षकार बनाया गया है इसलिये विचाराधीन वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. मृतक श्री हरीराम की पैतृक सम्पत्ति का नामान्तरकरण उसके पांचों पुत्रों के नाम पर दर्ज किया गया. श्री सुरजाराम, श्री जोतराम एवं श्री रिखीराम के वारिसान के नाम पर दर्ज किया गया जिसे प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा क्रय किया गया है. प्रतिवादी संख्य 11 से 13 नेकनीयत केता हैं इसलिये विक्रय विलेखों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन मे चक 8 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2001, चक 8 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2001, चक 8 एच.एच, के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2001, चक 8 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2027–2030, चक 8 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2027–2030 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 1 अप्रेल, 2009 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादी द्वारा चक 8 एच.एच. के संयुक्त खाता संख्या 11 में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर कुल 375 हिस्सा एतद्द्वारा 18.15 बीघा भूमि में अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है. विचाराधीन वाद के विचारणकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा उक्त 18.15 बीघा कृषि भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को किया गया है और प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के केता की हैसियत से जवाब वादपत्र भी प्रस्तुत किया गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि अजनबी व्यक्तियों द्वारा क्रय करने से वादी की प्रतिवादी के साथ काश्त करना असम्भव है और लाभप्रद नहीं रह गया है और वादी अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि का पृथक काश्त करना चाहता है. प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद भूमि क्रय नहीं की और यह पश्चातवर्ती घटना से वादी की काश्त प्रभावित होगी, इसलिये वादी वादपत्र में अंधिकारों की घोषणा, शाश्वत व्यादेश के साथ साथ भूमि विभाजन का अनुतोष भी अंकित करना चाहता है. वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है. इस प्रकार के संशोधन से प्रतिवादी को कोई क्षति नहीं है. संशोधन से वाद में पूर्व दर्ज तथ्यों के अतिरिक्त नये तथ्य जोड़े नहीं जाने. वादी की नोईयत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा केवल अतिरिक्त अनुतोष ही मांगा जा रहा है. प्रस्तावित अनुतोष– वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में बिन्दु संख्या 4(क) जोड़ा जावे. बिन्दु संख्या 4(क)– यह कि वादी श्री हरीराम के नाम प्रश्नगत ¼ हिस्सा की भूमि में अपना सातवां हिस्सा घोषित करवाकर, राजस्व अभिलेखों में संशोधन करवाकर प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/28 हिस्सा का पृथक विभाजन करवाने का अधिकारी है और इसी प्रकार वादपत्र के अनुतोष बिन्दु ख के अन्त में व वादी के हिस्सा में आयी भूमि का विभाजन किया जावे व कब्जा दिलाया जावे. इस प्रकार आवेदनपत्र

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...) श्रीगंगानगर

स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. जिसके सलंग्न संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया.

जवाब आवेदनपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणमताः आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा अन्तिम अवसर भी दिनांक 3 अक्तूबर, 2012 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा no instructions टिप्पणी हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित वादपत्र पत्रावली पर लिया जाना स्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 8 को जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 मई, 2006 द्वारा अन्तिम अवसर तथा आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2006 द्वारा राशि 100.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया. तदोपरान्त भी, जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामताः आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 8 की ओर से जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

प्रतिवादी संख्या 10 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2013 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के प्रत्येक बिन्दु को सिद्व करने का भार वादी पर होने के तथ्य अंकित किये गये.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यको का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 8 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 14 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 25(1.00), मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 से 25(25.00), मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25(24.10), मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1 से 25(24.10), कुल 74.09 बीघा नहरी कृषि भूमि एवं 0.11 बीघा खाल पैतृक सम्पत्ति है? ...वादी

2. क्या श्री सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा का हरियाणा स्थित कृषि भूमि से वादी के साथ किया गया है? ...वादी

3. क्या वादी द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि को पंजीबद्व विकय विलेख दिनांक 3 अप्रेल, 1998 द्वारा विकय किया जा चुका है? ...प्रतिवादी

4. अनुतोष?

अधिवक्ता वादी द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 04 जून, 2014 अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि में चौथा हिस्सा वादी के नाना श्री हरीराम को आना वादपत्र में अंकित किया गया था जिनकी मृत्योपरान्त उनके हिस्सा की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का होने का कथन करते हुऐ अपना सातवां हिस्सा क्लेम किया गया था. तत्पश्चात यह कथन किया गया कि श्रीराम आत्मज श्री सुरजाराम ने अपने हिस्सा की भूमि का तबादला प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उसकी कृषि भूमि के साथ कर लिया। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 का हिससा बयान किया था और राजाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया था. वाद के विचारणकाल में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को पंजीबद्व बैयनामा द्वारा विक्रय कर दिया गया इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है. विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 को विवाद्यकों का निर्धारण किया गया है जिसमें चार त्रुटिपूर्ण विवाद्यक निर्धारित किये गये हैं. विवाद्यक संख्या 1 में भूमि का वर्णन किया गया है किन्तु कुल 75.00 बीघा कृषि भूमि के पैतृक होने का अंकन नहीं किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को पैतृक नहीं बताया गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति नही है. इसलिये विवाद्यक संख्या 1 से पैतृक शब्द हटाया जाना अपेक्षित है. विवाद्यक संख्या 2 अनावश्यक निर्धारित किया गया है क्योंकि सुरजाराम ने वादी के साथ भूमि का तबादला नहीं किया गया अपितु सुरजाराम ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हरियाणा की भूमि का तबादला किया गया है इसलिये विवाद्यक संख्या 2 को विलोपित किया जाना अपेक्षित है. विवाद्यक संख्या 3 भी अनावश्यक निर्धारित किया गया है क्योंकि वादी ने अपनी भूमि विक्रय नहीं की गयी बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 03 अप्रेल, 1998 को विक्रय कर दी गयी थी इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है. इसलिये विवाद्यक संख्या 3 विलोपित किया जाना अपेक्षित है. चूंकि वादी अपने सातवां हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाकर पृथक कब्जा कर दावेदार है इसलिये नया विवाद्यक **क्या वादी अपने सातवां हिस्सा की भूमि पृथक करवाकर उसका पृथक कब्जा पाने का अधिकारी है**, निर्धारित किया जाना अपेक्षित है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 संशोधित, विवाद्यक संख्या 2 व 3 विलोपित करने तथा नवीन प्रस्तावित विवाद्यक निर्धारित किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि श्री हरीराम की पैतृक सम्पत्ति होने बाबत कोई तथ्य अंकित नही किया गया बल्कि प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 03 के बिन्दु संख्या 2 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि मृतक हरीराम के नाम 18.15 बीघा खातेदारी भूमि उसे अपने पिता श्री नारायणराम से विरासत में मिली इस कारण पैतृक है. इस प्रकार पक्षकारान के मध्य यह विवाद है कि

प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक अथवा स्वःर्जित है? किन्तु इस तथ्य को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है इसलिये विवाद्यक संख्या 1 में पैतृक शब्द को हटाया जाकर अतिरिक्त विवाद्यक निर्धारित किया जाता है. संशोधित वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि श्री सुरजाराम आत्मज श्री हरीराम ने प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपने हिस्सा का तबादला प्रतिवादी संख्या 1 की हरियाणा स्थित कृषि भूमि से कर लिया गया है जिससे माधोसिंह का हिस्सा 75 हिस्सा से बढ कर 150 हिस्सा हो गया है, चूंकि किसी प्रतिपक्षकार के प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा में बढौतरी/कमी होने के कथन भी पक्षकारान के मध्य विवाद के बिन्दु हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 2 अनेपक्षित नहीं बल्कि सही निर्धारित किये गये हैं. विवाद्यक संख्या 3 अनेक्षित होने के कारण विलोपित किया जाकर प्रस्तावित एवं अन्य विवाद्यक निर्धारित किया जाता है.

आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2015 के परिदृश्य निम्नलिखित संशोधित विवाद्यको का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 8 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 14 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 25(1.00), मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 से 25(25.00), मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25(24.10), मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1 से 25(24.10), कुल 74.09 बीघा नहरी कृषि भूमि एवं 0.11 बीघा खाल पैतृक सम्पत्ति है? ...वादी

2. क्या श्री सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा का हरियाणा स्थित कृषि भूमि से वादी के साथ किया गया है? ...वादी

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है? ..प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(कोर्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

4. क्या वादी अपने सातवां हिस्सा की भूमि पृथक करवाकर उसका पृथक कब्जा पाने का अधिकारी है? ...वादी

5. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक 8 जून, 2015 द्वारा अन्तिम अवसर, आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा विशेष आग्रह एवं न्यायहित में राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर तथा आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा कुल राशि 500.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के पश्चात साक्ष्य

वादी हेतु श्री रामकुमार द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 को उपस्थित आने पर जिरह की गयी. तथा आदेश दिनांक 4 अप्रेल, 2016 द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री मोतीराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिसे जिरह हेतु उपस्थिति के लिये यथोचित अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर तथा आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र जिसके अनुसार साक्षी की माता की हालत काफी नाजुक होने के कारण मा. न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने में असमर्थता के कारण उपस्थिति हेतु समय चाहा गया, जिसके परिदृश्य पुनः अन्तिम अवसर दिया गया. तदोपरान्त, साक्षी प्रतिवादी की दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को उपस्थित आने पर जिरह की गयी. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख चक 8 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2026(प्रदर्श–1), अभिलेख चक 8 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2051(प्रदर्श–2), न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), नोहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/1997 शीर्षक रामकुमार बनाम मूलाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 जून, 2000(प्रदर्श–3), अभिलेख चक 8 एच. एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2001 (प्रदर्श–डी–1),

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2015 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी के नाना श्री हीराराम के पास विचाराधीन वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि के अतिरिक्त मौजा ढाणी लालखां, मौजा कीकरवाली तहसील नोहर में भी कृषि भूमि भी. जो श्री हीराराम की मृत्योपरान्त उसके वरिसान जिसमें वादी की माता भी सम्मिलित थी, को विरासतन प्राप्त हुई. जिसके विभाजन के लिये वादपत्र संख्या 36/1997 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 19 जून, 2000 को डिक्री किया गया. जिसके अनुसार 1/7 हिस्सा कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई. उक्त निर्णय की प्रतिलिपि वादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त तो की गयी किन्तु वादी को प्रेषित नहीं की गयी. वादी आज अपने अधिवक्ता से प्रतिलिपि लाया है जिसे विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. प्रतिलिपि प्रमाणित है जिसके फर्जी होने की कोई सम्भावना नहीं है. तथा इसे प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं है. विचाराधीन वादपत्र में साक्ष्य वादी जिरह होनी है. प्रतिवादी की साक्ष्य उसके बाद होगी. इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), नोहर वादपत्र संख्या 36/1997 में पारित निर्णय दिनांक 19 जून, 2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2016 द्वारा विचाराधीन प्रकरण के सही निर्णय हेतु न्यायहित में आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), नोहर वादपत्र संख्या 36/1997 में पारित निर्णय दिनांक 19 जून, 2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2006 RRD 192 Moti Ram vs Ramniwas & ors
2013 AIR SC 1114 V.K. Surendera vs V.K. Thimmaiah & anr
2016 AIR SC 769 Prakash & ors vs Phulavati & anr

का सादर अवलोकन किया गया.

विवाद्यक सख्या 1 – क्या चक 8 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 14 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 25(1.00), मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 से 25(25.00), मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25(24.10), मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1 से 25(24.10), कुल 74.09 बीघा नहरी कृषि भूमि एवं 0.11 बीघा खाल पैतृक सम्पत्ति है? ..वादी

जमाबन्दी सम्बत् 2001(प्रदर्श–डी–1) के अनुसार चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/14 मुरब्बा नम्बर 9, 16, 24, 26 की 74.10 बीघा कृषि भूमि श्री नारायण वल्द श्री सवत जाट के नाम पर दर्ज है जो कि वादी के नाना श्री हरीराम के पिता के नाम पर दर्ज है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

विवाद्यक सख्या 2 –क्या श्री सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा का हरियाणा स्थित कृषि भूमि से वादी के साथ किया गया है? ...वादी

वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया गया है कि श्री सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपने हिस्सा का तबादला हरियाण स्थिति कृषि भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कर लिया. किन्तु इस तथ्य के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक सख्या 3 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है? ...**प्रतिवादीगण**

विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार जमाबन्दी सम्बत् 2001(प्रदर्श–डी–1) के अनुसार चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/14 मुरब्बा नम्बर 9, 16, 24, 26 की 74.10 बीघा कृषि भूमि श्री नारायण वल्द श्री रावत, जाट के नाम पर दर्ज है जो कि वादी के नाना श्री हरीराम के पिता के नाम पर दर्ज है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक सख्या 4 –क्या वादी अपने सातवां हिस्सा की भूमि पृथक करवाकर उसका पृथक कब्जा पाने का अधिकारी है? ...**वादी**

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को विक्रय की जा चुकी है तथा पंजीबद्व विक्रय विलेख को निरस्त करने के अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को हैं, जिसकी बाबत साक्षी वादी श्री रामकुमार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की जिरह में यह कथन किया गया है कि इस मुकदमा के अलावा मैंने कोई दावा पेश नहीं किया है. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/1997 शीर्षक रामकुमार बनाम मूलाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19 जून, 2000(प्रदर्श–3) श्री हरीराम की मृत्यु 1975 एवं श्रीमती माड़ी की मृत्यु वर्ष 1979 में होने का उल्लेख किया गया है. साक्षी वादी श्री रामकुमार द्वारा साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत शपथपत्र की जिरह में कथन किया गया है कि मेरी मां की मृत्यु मेरे नाना से पहले हुई थी. मेरी माता की मृत्यु को करीब 50 वर्ष बीत चुके हैं जो परस्पर विरोधाभासी तथ्य हैं. यह भी स्वीकार किया गया कि मैंने मेरी माता की मृत्यु के 30 वर्ष बाद जमीन में हिस्सा लेने का दावा किया था. किन्तु वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में वादी द्वारा अपनी माता श्रीमती माड़ी का वारिसनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य सिद्व हो कि वादी श्रीमती माड़ी का पुत्र है तथा उसके अतिरिक्त श्रीमती माड़ी का कोई अन्य वारिस नहीं है. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि साक्षी वादी श्री रामकुमार द्वारा साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत शपथपत्र की जिरह में कथन किया गया है कि इन्तकाल निरस्त करने की अपील मैंने कर दी थी लेकिन इसी प्रति मैंने पेश नहीं की है. जिससे यहां तथ्य स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने नाना की मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण को विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि में अथवा उसके

बाद किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र अवधि बाधित होने के कारण वादी प्रश्नगत पैतृक सम्पत्ति मे से अपनी माता के सातवां हिस्सा घोषणा एवं विभाजन करवाकर पृथक कब्जा पाने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/14 मुरब्बा नम्बर 9, 16, 24, 26 की 74.09 बीघा कृषि भूमि एवं 0.11 बीघा खाल में श्री हरीराम के ¼ हिस्सा एतद्द्वारा 18.15 बीघा कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. श्री हरीराम की मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम दर्ज कृषि भूमि दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को विक्रय की जा चुकी है. वादी द्वारा श्री हरीराम की मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने के तथ्यों के समर्थन में किसी भी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये. वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र की जिरह में स्वीकार किया गया है कि मेरी माता की मृत्यु के 30 वर्ष बाद जमीन में हिस्सा लेने का दावा किया था. इसके साथ ही, वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्रीमती माड़ी का वारिसनामा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह तथ्य सिद्व होता हो कि वादी श्रीमती माड़ी का पुत्र है तथा उसके अतिरिक्त श्रीमती माड़ी का कोई अन्य वारिस नहीं है. दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 3 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 अप्रेल, 1998 को निरस्त करवाये जाने हेतु भी सक्षम सिविल न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र अवधि बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में आज दिनांक 27 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.